प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.11.2026

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा 02 नाबालिग लडकियो को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

दिनांक 31.10.2026 को श्री अजीम नि0 ग्राम साहिबाबाद थाना लिंक रोड कमि0 गाजियाबाद की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष व श्री संतोष नि0 ग्राम साहिबाबाद थाना लिंक रोड कमि0 गाजियाबाद की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष सुबह 09.00 बजे घर से बिना बताये कही चली गयी थी जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा थाना प्रभारी लिंक रोड को जरिये दूरभाष समय 19.00 बजे सूचना दी। इस सूचना पर थाना प्रभारी के निर्देशन में चौकी प्रभारी रेलवे रोड उ0नि0 श्री रवि राजकुमार सिंह , उ0नि0 श्री रोहित गुप्ता व म0का0 1192 प्रियंका के साथ उक्त प्रकरण को गहनता से संज्ञान में लेते हुये उक्त बच्ची के नम्बर को तत्काल सर्विलांस टीम की मदद से ट्रेसिंग पर लगवाया गया। उक्त नम्बर की लोकेशन शाहदरा दिल्ली के आस-पास की आयी जहां तत्काल पहुंच कर पुलिस टीम द्वारा स्थानीय लोगों व मुखबिर की मदद से उपरोक्त दोनों बच्चियों को रेलवे स्टेशन शाहदरा दिल्ली से सकुशल बरामद कर थाना लाया गया। मौके पर पूछताछ करने पर उपरोक्त बच्चियों द्वारा घर से नाराज होकर कहीं दूर जाने की फिराक में ट्रेन का इन्तजार करना बताया। उपरोक्त दोनो बच्चियों को महिला हैल्प डैस्क पर बैठाया गया। उक्त बच्चियों को परिजनों को समय 22.00 बजे सकुशल सुपुर्द किया गया।

गुमशुदा बच्चियों के पिता पुलिस टीम के साथ उपस्थित रहे। पुलिस की इस तत्परता व सराहनीय कार्यवाही से परिजन एवं स्थानीय निवासियों में हर्ष की लहर है तथा पुलिस के प्रति विश्वास की भावना भी जागृत हुई है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

थाना लिंक रोड पुलिस टीम।

थाना नंदग्राम पुलिस टीम द्वारा अवैध आतिशबाजी पटाखे रखने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नन्दग्राम के मोरटा क्षेत्र में आशियाना चौक राजनगर एक्सटेंशन में एक दुकान पर भारी मात्रा में मोटे स्तर पर प्रदूषण व काफी तेज ध्वनी वाले पटाखे हैं, जिस पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को मय अवैध माल के गिरफ्तार कर थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब यह पटाखे मैने दादरी नोएडा के किसी दुकान से काफी पहले सस्ते दामों में खरीदे थे ताकि दीपावली के समय अधिक दामों पर बेचकर मुनाफा कमा सकूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

अमित कुमार पुत्र राजसिंह कश्यप निवासी- 168 नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम उम्र करीब 39 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

02 प्लास्टिक के बोरे पटाखे

1 प्लास्टिक का कट्टा मिश्रित पटाखे अलग अलग कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक की 860 पुडियां सहित कुल 969 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 01 करोड रूपये) स्मैक बिक्री के कुल 174990/- रूपये नगद, 03 अंगूठी पीली धातु, 04 मोबाइल भिन्न-भिन्न कम्पनी के बरामद।

दिनांक 31.10.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों व 01 अभियुक्ता 1. मौ0 आर्यन पुत्र मौ0 कलीम निवासी ए-1/19 डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद स्थायी पता गाँव सनखेडा थाना तिकुनिया जिला लखीमपुर खीरी उम्र करीब 20 वर्ष 2. ईमामुद्दीन पुत्र तोफिद अली निवासी ए-1/19 डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद स्थायी निवासी गाँव चखरा थाना निघासन जिला लखीमपुर खीरी उम्र करीब 19 वर्ष 3. इमरान पुत्र मोहसिन निवासी ई-44/बी-13 न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष व अभियुक्ता 4. समीना पत्नी सरोज अहमद निवासी ए-1/19 डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद स्थायी निवासी मस्जिद के सामने झुग्गी कलन्दर कॉलोनी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष को डीएलएफ शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक की 860 पुडियां सहित कुल 969 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 01 करोड रूपये) स्मैक बिक्री के कुल 174990/- रूपये नगद, 03 अंगूठी पीली धातु, 04 मोबाइल भिन्न-भिन्न कम्पनी के बरामद हुए। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-
अभियुक्तगण से बरामदा स्मैक के संबंध में जानकारी की गई तो बताया कि समीना जो गैंग की लीडर है वह दिल्ली से चोरी छिपे खरीद कर लाती है तथा हमें यह स्मैक आस पास के क्षेत्र में बेचने के लिये देती है। उसी स्मैक को हम लोग सफेद रंग की छोटी छोटी पोलीथिन में रखकर पुडिया बनाकर प्रति पुडिया 300 से 400 रुपये में आसपास के क्षेत्र में घूम-घूमकर नशा करने वाले लोगों को बेच देते हैं और

धनोपार्जन करते हैं। हमसे आपको जो रूपये मिले हैं वह स्मैक विक्री के रूपये हैं तथा जो अंगुठियाँ मिली हैं हमने स्मैक के पैसों से ही खरीदी थी। हम पकडे जाने के डर से किराये पर रहते हैं तथा महीने दो महीने में अपना किराये का मकान/ फ्लैट बदलते रहते हैं। यह फ्लेट भी हमने करीब एक महीने पहले ही किराये पर लिया था जल्दी ही हम इस फ्लैट को खाली करने वाले थे पुलिस द्वारा पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. मौ0 आर्यन पुत्र मौ0 कलीम निवासी ए-1/19 डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद स्थायी पता गाँव सनखेडा थाना तिकुनिया जिला लखीमपुर खीरी उम्र करीब 20 वर्ष।
2. ईमामुद्दीन पुत्र तोफिद अली निवासी ए-1/19 डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद स्थायी निवासी गाँव चखरा थाना निघासन जिला लखीमपुर खीरी उम्र करीब 19 वर्ष।
3. इमरान पुत्र मोहसिन निवासी ई-44/बी-13 न्यू सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष।
4. समीना पत्नी सरोज अहमद निवासी ए-1/19 डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद स्थायी निवासी मस्जिद के सामने झुग्गी कलन्दर कॉलोनी दिल्ली उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

अवैध मादक पदार्थ स्मैक की 860 पुडियां सहित कुल 969 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत करीब 01 करोड रूपये) स्मैक बिक्री के कुल 174990/- रूपये नगद, 03 अंगूठी पीली धातु, 04 मोबाइल भिन्न-भिन्न कम्पनी के बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त इमरान के विरूद्ध थाना लिंक रोड पर चोरी का 01 अभियोग तथा दिल्ली में चोरी के 03 अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्ता समीना के विरूद्ध थाना सीमापुरी दिल्ली में एनडीपीएस एक्ट का 011 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।